

Information and RTI Act.

Naresh Mittal <nareshmittal1960@gmail.com>

To: goel.alok@cppri.res.in, Director Cppri <director.cppri@gmail.com>

Thu, Nov 30, 2023 at 11:12 AM

Dated : November 30, 2023

सेवा मे,
श्रीमान पीआईओ, (आरटीआई)
सीपीपीआरआई, सहारनपुर

विषय : आरटीआई कानून के तहत सूचना

महोदय

सीपीपीआरआई, सहारनपुर श्री वाई के शर्मा अनुभाग अधिकारी के पद से रिटाइर हुए और उसके बाद भी 4 वर्षों से संस्थान में विभिन्न तरीके से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कभी उनको मानदेय दिया गया, कभी उनको बतौर कंसल्टेंट रखा गया और कभी उन्होंने ठेकेदार के माध्यम से संस्थान को अपनी सेवाएं दी हैं।

यही नहीं, उनका परिवार भी संस्थान की बहुत सेवा करता रहा है। पहले उनका सगा भतीजा श्री मयंक शर्मा संस्थान में टेम्पररी कार्यरत रहा, फिर उनका बेटे श्री हर्षित बिलवश ने संस्थान में जेआरएफ के तौर पर नौकरी की। फिर उनको नौकरी से निकाल दिया गया तो पिछले वर्ष श्री हर्षित ने ठेकेदार के माध्यम से संस्थान को सेवा देना जारी रखा।

वे तो अपनी बेटी की सेवाएं भी संस्थान को देना चाहते हैं। इससे पहले वे टेम्पररी नौकरी की कोशिश करते रहे जो शिकायत होने के कारण सफल नहीं हो पाई। अभी संस्थान ने एसएसए की बहुत सारी वेकेनसी निकाली है, जिसमें उनकी बेटी सुश्री वैष्णवी शर्मा ने भी फोरम भरा है और अफवाह है की उनकी नियुक्ति का जुगाड़ श्री वाई के शर्मा कर रहे हैं। भले ही संस्थान यह रिक्रूटमेंट थर्ड पार्टी अजेंसी से करा रहा हो, परंतु पेपर लीक के मामले पूरे देश में रोज उजागर होते रहते हैं।

मुझे जानकारी मिली है की उनके बेटे श्री हर्षित के सारे डॉक्युमेंट पूरी तरह सही नहीं हैं। उन्होंने बेटे की जनम तिथि भी बदली है। उनके सारे डॉक्युमेंट सही हैं, ये कन्फर्म करने के लिए आपसे प्रार्थना है की मुझे निम्नलिखित डॉक्युमेंट प्रदान किए जाए :

- 1- उनकी दस्वी, 12वीं, की मार्क्स शीट और प्रमाण पत्र
- 2- उनके अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि।

चूंकि उनकी बेटी सुश्री वैष्णवी शर्मा सीपीपीआरआई में एसएसए के लिए उम्मेदवार है, इसलिए मुझे उनकी बीएससी और एमएससी की मार्क्स शीट्स की प्रतिलिपि भी दी जाए। एक अंदेशा है की उनकी एमएससी की मार्क्स शीट शायद सही नहीं हो।

श्री वाई के शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में एलटीसी क्लेम करते हुए फ़ौज किया था और अपने क्लेम के समर्थन में उन्होंने एयर इंडिया का फर्जी सर्टिफिकेट सीपीपीआरआई में प्रस्तुत किया था। जिसकी जांच हुई और श्री वाई के शर्मा को दोषी पाया गया था। इस संबंध में आपसे प्रार्थना है की क्या श्री शर्मा के विरुद्ध जालसाजी करने के लिए पुलिस रिपोर्ट की गई थी या नहीं, ये सूचित करने का कष्ट करें। साथ ही जांच कमेटी की रिपोर्ट और सक्षम अधिकारी की अप्रूवल की प्रतिलिपि भी प्रदान की जाए। एसएसए के वर्तमान रिक्रूटमेंट से संबंधित अगर संस्थान में कोई भी कमेटी बनी हो तो कृपया उसकी प्रतिलिपि भी प्रदान करें।

महोदय, अधोहस्ताक्षरी पत्रकार के तौर पर कार्यरत है और अपने इसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए उपरोक्त सूचनाएं वांछनीय हैं। आरटीआई फीस सीपीपीआरआई के बैंक अकाउंट में जमा की जा रही है जिसका स्क्रीन शॉट आपको भेज दिया जाएगा। हिन्दी टकन त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी।

धन्यवाद

नरेश मित्तल

पत्रकार

लेन 7, हरी वृन्दावन सिटी,

जनसठ रोड, मुजफ्फरनगर

फोन : 8534099615, 9997321615

श्री वाई के शर्मा जी
सेवा में
30.11.23